तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2002 / 11324 / दौसा** **कल्याण बनाम जगदीश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ (मुकाम जयपुर)
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित,

दिनांक : 06 जनवरी, 2021

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 5–7–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25–8–2000 को अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 3 ने अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा प्रार्थी के विरूद्ध, प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या–4 लगायत 9 को भी प्रतिवादी बनाते हुये इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि एकीकरण से पूर्व ग्राम गोठड़ा, तहसील व जिला दौसा खसरा नम्बर–432 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा के वादीगण के पिता भौंरया का पुत्र मांग्या मीणा की खातेदारी की भूमि थी और वह खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था और खातेदार काश्त के रूप में काश्त करते रहे। सेटलमेन्ट व एकीकरण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बाहर होने की वजह से अवैध है। खसरा नम्बर–432 में से 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि गलत तरीके से काट कर एकीकरण में खसरा नम्बर–132 में मिलाकर उसे सिवायचक अंकित कर दिया गया और उसके पश्चात उक्त भूमि को खसरा नम्बर–112 में मिलाकर रास्ते की भूमि अंकित कर दिया गया जो अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के उपरोक्त वर्णित निर्णय दिनांक 5–7–2002 के पश्चात पत्रावली भी अविलम्ब विचारण न्यायालय को भिजवा दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2002 / 11324 / दौसा</u>** **कल्याण बनाम जगदीश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गयी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से तलब किया गया, जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय दिनांक 5–7–2002 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा को पूर्णतः निरस्त करने के स्थान पर प्रकरण को रिमाण्ड करने मात्र का प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है, साथ ही मौका कमिश्नर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट लेकर निर्णय पारित करने का निर्देश सहायक कलेक्टर, दौसा को दिया है। इस प्रकार उन्होंने अपने अधिकारों के प्रयोग में गम्भीर अवैधानिकता एवं अनियमितता की है। अतः निगरानी स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय निरस्त करने की प्रार्थना की है। 5– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 6– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 5–7–2002 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ए.सी.एम., दौसा को रिमाण्ड किया है और मौका कमिश्नर की नियुक्ति कर रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय पारित करने का निर्देश दिया है। निगराकार को मुख्य आपत्ति यह है कि मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना गलत है। प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त कर अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित नहीं किये जा सकते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2002 / 11324 / दौसा</u>** **कल्याण बनाम जगदीश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हैं। अतः आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है। इस संबंध में हम सीपीसी के आदेश–26 नियम–9 का अध्ययन करते हैं तो उसमें निम्न प्रावधान पाते हैं :–

> 9- Commissions to make local investigations. - In any suit in which the Court deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market-value of any property, or the amount of any mesne profits or damages or annual net profits, the Court may issue a commission to such person as it thinks fit directing him to make such investigation and to report thereon to the Court :
>
> Provided that, where the State Government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the Court shall be bound by such rules.

7– उक्त प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को यह अधिकार है कि वह यदि उचित समझे और प्रकरण में आवश्यकता महसूस करे तो वह मौका की वास्तविक रिपोर्ट मौका कमिश्नर नियुक्त कर मंगवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अधीनस्थ न्यायालय को यही निर्देश दिया है कि वह प्रकरण की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मौका कमिश्नर के द्वारा मंगवाये और उसके पश्चात निर्णय पारित करें।

8– विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट मंगवा ली है और वह आ भी चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस निगरानी का कोई अर्थ भी नहीं रह गया है।

9– अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2002 / 11324 / दौसा</u>** **कल्याण बनाम जगदीश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड भेजा जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	